124

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07/2007

प्रविष्टि दिनांकः– 10.04.2007

1. सुखलाल पुत्र श्री भूराराम जाति मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक(मृतक)

1/1. हेमराज पुत्र स्व0 सुखलाल मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक

1/2. श्रीमति अनोप पत्नि स्व0 रामसिंह मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक

1/3. नवीन कुमार पुत्र स्व0 रामसिंह मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक

1/4. कुमारी पूजा पुत्री स्व0 रामसिंह मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक

1/5. कुमारी रेखा पुत्री स्व0 रामसिंह मीना निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

ग्राम पंचायत राजमहल पंचायत समिति देवली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक।

.....नॉन–निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 05.03.2007 ग्राम पंचायत राजमहल आदेश कमांक 11

उपस्थितः (1) श्री कैलाश अहलूवालिया, अभिभाषक निगरानीकर्तागण

निर्णय

दिनांक 28/3/25

संक्षिप्त में निगरानी का सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता को उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश कमांक 3450 दिनांक 19.02.2007 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली के आदेश कमांक 773 दिनांक 26.02.2007 की पालना में ग्राम देवीखेडा में स्थित 80X 88 वर्गफिट के पक्का मकान का पट्टा ग्राम पचांयत राजमहल पंचायत समिति देवली द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत राजमहल ने अपने आदेश कमांक 11 दिनांक 05.03.2007 से निरस्त कर दिया। पट्टा निरस्त किये जाने के उक्त आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं नॉननिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया। नॉन निगरानीकर्ता ने दिनांक 05.06.2008 को उपस्थित होकर लिखित में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

122

जवाब प्रस्तुत किया व दिनांक 01.11.2018 के बाद से लगातार अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रिवीजनर का एक पक्का मकान ग्राम देवीखेडा में लगभाग 20–25 साल से बना हुआ है। रिवीजनर द्वारा ग्राम पंचायत राजमहल से पट्टा जारी करने हेतु निवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच, उससे पट्टा फीस प्राप्त कर एवं माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली के आदेश क्रमांक 3450 दिनाक 19.02.2007 व श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली के आदेश क्रमांक 773 दिनाक 26.02.2007 की पालना में उसके हक में 80X 88 वर्गफिट के पक्के मकान का पट्टा जारी किया गया था। उक्त पक्का मकान रिवीजनर ने स्वयं के पैसे से अपने कब्जे की जमीन पर बनाया था जिस पर उसके किसी परिवार के सदस्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही कोई हक व हिस्सा है। रिवीजनर के अन्य भाई बंध अपने अपने मकान मे अलग–अलग निवास करते है। रिवीजनर व उसके भाई बन्धो का पुश्तैनी मकान गाँव में अलग जगह बना हुआ है जो आज भी मौजूद है। नॉन रिवीजनर सरपंच महोदय ने उपसरंपच, वार्ड पंच व सचिव से आपस में मिली भगत कर उक्त मकान का पटटा दिनाक 05.03.2007 के प्रस्ताव स. 1 के द्वारा उक्त मकान को पुश्तैनी मकान मान कर उस पर भाईयों का हिस्सा मानकर उसका पट्टा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने बाबत आदेश जारी किया है जबकि नॉन रिवीजनर को इस प्रकार पूर्व में जारी पुख्ता मकान के पटटे को पुश्तैनी मकान का पटटा बनाकर निरस्त किये जाने का कोई अधिकार किसी भी कानूनी प्रावधान से नही है। उक्त आदेश मे नॉन रिवीजनर ने यह भी अकिंत किया है कि उक्त मकान में पांचो भाईयो से जानकारी करने पर उनका सभी का हिस्सा बराबर पाया गया जो कि गलत है। उक्त मकान रिवीजनर का स्वयं का मकान है तथा इस पर भाईयों का कोई हिस्सा नहीं है। उक्त आदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच करने पर इस बाबत पुरानी मिसल पर पूर्व सरपंच रामराय के फर्जी हस्ताक्षर पाये गये है तथा स्वयं पूर्व सरपंच के द्वारा ऐसा लिखित में दिया गया है किन्तु इस बात की कोई जांच नहीं की है और न ही इस बाबत जांच हेतु रिवीजनर से कोई जानकारी ली। इस प्रकार एक तरफा की गई कार्यवाही एवम उसके तहत रिवीजनर का पट्टा खारिज किये जाने का आदेश कतई गलत है और उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रिवीजनर ने नियमानुसार दरख्वास्त प्रस्तुत कर उसकी नॉन रिवीजनर द्वारा जांच करवाई जाकर बाद विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली व उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश की पालना में रिवीजनर को यह पट्टा उसके पुख्ता मकान का जारी किया गया था। ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

123

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है नॉन रिवीजनर ने रिवीजनर के विरूद्ध साज करते हुए यह पट्टा अवैधानिक रूप से तथा पंचायत अधिनियम के नियमों की पालना न करते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए पट्टा निरस्त करने का आदेश दिया है जो पूर्णतः गलत एवं अवैधानिक है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रिवीजन प्रस्तुत कर निवेदन है कि रिवीजन स्वीकार फरमाई जाकर, आदेश ग्राम पंचायत राजमहल दिनांक 05.03.2007 निरस्त फरमाया जाकर रिवीजनर के हक में जारी मकान का पट्टा बहाल रखा जावे।

नॉन रिवीजनर अनुपस्थित रहे। नॉन रिवीजनर द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अवलोकन किया। नॉन रिवीजनर में अपने जवाब में अंकित किया हैं कि रिवीजनर को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया था, वह भूमि सुखलाल के एकल स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है बल्कि उसके अन्य भाइयों शिवजीराम, मथुरालाल, भोजाराम, खेमराज व केसरलाल के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की है। पट्टा निरस्त करने के संबंध में वार्ड पंच, उपसरपंच एवं प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष निवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी ने बीडीओ देवली को आदेशित किया था जिस पर पूर्ण जांच कर पट्टा गलत पाए जाने पर प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.03.2007 के द्वारा पट्टा निरस्त किया गया है तथा सुखला को भी सुनवाई का अवसर दिया गया है। पट्टा निरस्त करने का पारित आदेश सही एवं वैधानिक है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत राजमहल की पट्टा की पत्रावली व नॉन–निगरानीकर्ता के लिखित जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता हैं कि उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश कमांक 3450 दिनांक 19.02.2007 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली के आदेश कमांक 773 दिनांक 26.02.2007 की पालना में 80X 88 वर्गफिट भूमि जो ग्राम देवीखेडा में स्थित है, का पट्टा ग्राम पचांयत राजमहल पंचायत समिति देवली द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत राजमहल ने आदेश कमांक 11 दिनांक 05.03.2007 से निरस्त किया है। उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत ने इस आधार पर निरस्त किया हैं कि सरपंच, उपसरपंच व वार्ड पंच ने स्वयं गांव में जाकर जांच की तथा उक्त मकान पर रिवीजनर के अन्य भाईयों का बराबर हिस्सा पाये जाने पर पट्टा निरस्त करने का आदेश पारित किया है परन्तु की गई जांच बाबत दस्तावेजात ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित पट्टा पत्रावली में नहीं है। रिवीजनकर्ता ने अपने पक्ष में पंचनामा पेश किया है जिसमें ग्रामवासी देवीखेडा ने अंकित किया हैं कि जो मकान का पट्टा रिवीजनकर्ता को जारी किया गया था, वह अकेला रिवीजनकर्ता का ही मकान है तथा स्वयं रिवीजनकर्ता ने ही उसका निर्माण करवाया था। यह मकान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

पुश्तैनी न होकर स्वयं रिवीजनकर्ता का मकान है तथा उक्त मकान पर रिवीजनकर्ता के भाईयों का कोई हिस्सा नहीं है।

यदि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा गलत भी माना जाये तो ग्राम पंचायत को पंचायत अधिनियम के तहत पट्टा निरस्त किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उक्त मकान पर रिवीजनर के भाईयों के हिस्सा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है। ऐसी स्थिति में हम ग्राम पंचायत राजमहल, पंचायत समिति देवली के आदेश कमांक 11 दिनांक 05.03.2007 द्वारा रिवीजनकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा 80X88 वर्गफिट को निरस्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं।

फलतः ग्राम पंचायत राजमहल, पंचायत समिति देवली द्वारा जारी आदेश कमांक 11 दिनांक 05.03.2007 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण सरपंच, ग्राम पंचायत राजमहल को इन निर्देशों के साथ पुनःप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पुनः समस्त तथ्यों की जांच कर, पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर व दस्तावेजात तथा मौके की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें एवं यदि जारी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य पाया जाता है तो पट्टा निरस्त करवाने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक